

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23 (45) लेखा/निकाशि/मु.उ.शि.छा.यो./2012/ 2679.

दिनांक 5-10-12

परिपत्र

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2012 में समस्त नोडल अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संलग्न प्रोफार्मा के अन्तर्गत तैयार कर पात्र/ अपात्र/ अपूर्ण की सूची तैयार करते हुए निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 10.10.2012 तक आवश्यक रूप से व्यक्तिशः उपलब्ध करावे जिससे निदेशालय द्वारा बजट आवंटन किया जा सके। बजट आवंटन पश्चात पात्र विद्यार्थियों का परीक्षण उपरान्त छात्रवृत्ति स्वीकृत कर सम्बन्धित विद्यार्थी के बैंक खाते में राशि प्रतिमाह स्थानान्तरण की कार्यवाही करें तथा स्वीकृत राशि की सूचना मुख्यलेखाधिकारी कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रतिमाह भिजवाना सुनिश्चित करें।


(सुनील कुमार शर्मा)

निदेशक

कॉलेज शिक्षा विभाग राज.जयपुर

दिनांक

